सरकूलर नं0: अपमा/2016–2018/106 दिनांक 14–6–2017

पुलिस विभाग में कर्मचारियों का शिनाख्त करवाने के सन्दर्भ में

प्रिय व्यापारी भाईयों, आजकल मार्किट में चोरी की कई वारदातें बढ़ गयी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपमा प्रतिनिधिमण्डल ने कश्मीरी गेट थानाध्यक्ष श्री मंगेश गेदम जी से चर्चा की। इस पर कश्मीरी गेट थानाध्यक्ष श्री मंगेश गेदम जी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है कि सभी दुकानदार अपने–अपने कर्मचारियों, झल्लीवालों, ठेलेवालों एवं चौकीदारों की शिनाख्त पुलिस थाने में अवश्य करवायें तथा दुकानों पर कर्मचारी रखते वक्त उससे उसका आधार कार्ड, उसका फोटो, स्वयं का दूरभाष नंबर, गॉव के प्रधान का दूरभाष नंबर, गॉव का जिला, थाना, पोस्ट ऑफिस का पूरा पता एवं उसकी पूर्ण जानकारी लें तथा पुलिस से उसका सत्यापन अवश्य करवायें। दुकान बन्द करने के पश्चात् ताले अवश्य चैक कर लेवें। नगदी के लेन–देन करते वक्त सर्तक रहें। थानाध्यक्ष महोदय जी ने यह भी बताया कि आगामी 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे है ।

व्यापारी भाईयों, आप सभी से अनुरोध है कि कर्मचारियों, झल्लीवालों, ठेलेवालों इत्यादि की पुलिस द्वारा शिनाख्त करवायें, आप सभी के हित में है। इससे कानूनी दृष्टि से आपको भी लाभ है, और कोई वारदात होने पर पुलिस को भी सुविधा होती है।

''आप सभी की सुविधा व हितों को समर्पित आपकी अपनी अपमा''

(उमेश सेठ)
सचिव